समाचार-प्रकाशनार्थ:-

वकास कार्य समयाव ध में पूर्ण नहीं करने पर कालोनाईजर को सूचना पत्र जारी

रतलाम 25 मार्च । समयाव ध में कालोनी का वकास कार्य पूर्ण नहीं करने वाले कालोनाईजरों के वरूद्ध नगर पा लक निगम द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी है जिसके तहत मेसर्स रचना हाउ संग को सूचना पत्र जारी कया है।

नगर निगम द्वारा मेसर्स रचना हाउ संग के कालोनाईजर श्री अनिल झालानी व श्री प्रवीण सेलवा डया एवं अन्य को भक्तन की बावड़ी स्थित आवासीय कालोनी का वकास कार्य नियत समयाव ध में पूर्ण नहीं करने तथा शेष आश्रय शुक्ल की रा श जमा नहीं कराने के कारण कालोनाईजर को मध्यप्रदेश नगर पा लका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरणए निर्बधन तथा शर्तें) नियम 1998 में उल्ले खत प्रावधानों के अनुसार कालोनाईजर को दी गई कालोनी वकास अनुमति निरस्त करते हुएए वकास कार्य के एवज में बंधक रखे गये भूखण्डों का निगम द्वारा वक्रय कर कालोनी के वकास कार्य पूर्ण करने बाबत अंतिम सूचना पत्र जारी कया गया है दी गई समयाव ध में कालोनाईजर द्वारा समाधान कारक कार्यवाही नहीं करने पर सूचना-पत्र अनुसार कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जायेगी।

नगर के सभी 49 वार्ड आगामी दो दिनों में होगें जीरो वेस्ट

25 मार्च तक 34 वार्ड बन चुके है जीरो वेस्ट वार्ड

26 मार्च से वार्ड क्रमांक 4ए 5ए 30ए 35 व 38 बनेगें जीरो वेस्ट वार्ड

जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिक ले रहे है बढ़-चढ़ कर हिस्सा

रतलाम 25 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 1ए 2ए 3ए 6ए 7ए 8ए 13ए 14ए 15ए 17ए 18ए 19ए 20ए 21ए 23ए 25ए 26ए 29ए 32ए 33ए 34ए 35ए 36ए 39ए 40ए 41ए 42ए 43ए 44ए 45ए 46ए 47ए 48 व 49 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर

में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। 23 मार्च की स्थिति में नगर के 26 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है रतलाम नगर को स्वच्छता में देश में नम्बर 1 बनाने के नागरिकों व निगम कर्मचारियों के उत्साह को देखते हुए 26 मार्च से वार्ड क्रमांक 4ए 5ए 30ए 35 व 38 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जायेगा व आगामी दो दिनों में शेष 9 वार्डो को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने पर रतलाम नगर के सभी 49 वार्ड जीरो वेस्ट वार्ड बनेगे व रतलाम नगर जीरो वेस्ट नगर होगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क वर्तमान में जिन वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है उन वार्डो की सड़कोंए ग लयों एवं ना लयों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरोए दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूख्खे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग कया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कया जाकर रैग पकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित कया जा रहा है।

जीरो वेस्ट वार्ड 1ए 2ए 3ए 6ए 7ए 8ए 13ए 14ए 15ए 17ए 18ए 19ए 20ए 21ए 23ए 25ए 26ए 29ए 32ए 33ए 34ए 35ए 36ए 39ए 40ए 41ए 42ए 43ए 44ए 45ए 46ए 47ए 48 व 49 में 2.2 कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित कया गया। नागरिकों से अपील जाती है क वे अपने घरो एवं दुकानांे से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में

एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे[a] चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रीनए ग्लबसए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहां होता है व वक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबं धत की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन कया जाये।

गुप्ता कलर लेब पर 4000 का जुर्माना

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबं धत

रतलाम 25 मार्च । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबं धत कये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर गुप्ता कलर लेब स्टेषन रोड पर 4000 व राहूल महू रोड पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन कया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री

 वराट मेहरा के अलावा मनोज टांकए पवन झांझोटए आकाष षन्देए राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

पॉलीथीन व डस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबं धत

रतलाम 25 मार्च । गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से षासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबं धत कया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अ धकारियों को निर्दे षत कया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्दे षत कया क 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबं धत कया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबं धत कया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैलीए नारियल या जूट की थैली का उपयोग करेंए प्लास्टिक व थर्मोकोल से नि र्मत कपए ग्लासए कटोरीए चम्मचए कन्टेनरए स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉए पेपर प्लेटए दोने पत्तलए पत्तो से नि र्मत बाउलए केले के तने तथा नारियल के पत्तों से नि र्मत प्लेट एवं बाउलए म ी के कुल्लहड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थो के लये करें इस हेतु प्रेरित कया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डस्पोजेबल आयटमों के वक्रयए भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही कये जाने के निर्देष संबं धत को दिये।

दिलबहार चौराहा पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 79ए67ए144ध् संपत्तिकर व 14ए45ए810ध् जलकर जमा कराया

रतलाम 25 मार्च । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000रु व जलकर 6ए000रुए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000रु व जलकर 55ए775रुए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विवर में संपत्तिकर 2ए38ए000रु व जलकर 49ए010रुए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000रु व जलकर 43ए670रुए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000रु व जलकर 29ए280रुए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000रु व जलकर 19ए850रुए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000रु व जलकर 48ए220रुए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000रु व जलकर 14ए000रुए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000रु व जलकर 86ए540रुए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000रु व जलकर 3ए76ए905रुए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500रु व जलकर 76ए470रुए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000रु व जलकर 47ए595रुए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000रु व जलकर 22ए680रुए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644रु व जलकर 55ए320रुए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000रु व जलकर 59ए500रुए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144रु व जलकर 6ए71ए025रुए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000रु व जलकर 19ए000रुए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000रु व जलकर 64ए780रुए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 4ए92ए000रु व जलकर 66ए715रुए रामगढ़ ष वर में संपत्तिकर 1ए60ए000रु व जलकर 34ए340रुए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए30ए000रु व जलकर 44ए230रुए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए07ए000रु व जलकर 33ए940रुए जूनि कोर्ट

करण टॉकज षवर में संपत्तिकर 1ए84ए000ध् व जलकर 56ए350ध्एआनन्द कालोनी षवर मे संपत्तिकर 86ए000ध् व जलकर 35ए140ध्ए प्रताप नगर षवर में संपत्तिकर 1ए16ए000 व जलकर 57ए670ध्ए महावीर नगर षवर में संपत्तिकर 69ए000ध् व जलकर 21ए185ध्ए पैलेस रोड षवर में संपत्तिकर 3ए50ए000ध् व जलकर 66ए865ध्ए चौगानिया भेरू मंदिर के पास षवर में संपत्तिकर 1ए15ए000ध् व जलकर 25ए865ध्ए सायर चबुतरा षवर में संपत्तिकर 2ए42ए000ध् व जलकर 70ए400ध्ए चौमुखील पुल षवर में संपत्तिकर 4ए70ए000ध् व जलकर 43ए925ध्ए बजाज खाना गणेष देवरी षवर में संपत्तिकर 2ए55ए000ध् व जलकर 39ए750ध्ए षास्त्रीनगर षवर में संपत्तिकर 2ए33ए000ध् व जलकर 35ए810ध्ए दो बत्ती षवर में संपत्तिकर 9ए60ए000ध् व जलकर 51ए120ध्ए दिलबहार चौराहा षवर में संपत्तिकर 5ए43ए000ध् व जलकर 35ए010ध् की राष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित षवरों मेंें 79ए67ए144ध् संपत्तिकर व 14ए65ए850ध्ए राष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली षवरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 26 मार्च को स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में षवर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त षवर बकायादारों की सुवधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित षवरों में बकायादार अपनी बकाया राष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।।

अनुपस्थित 14 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 25 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के वभन्न वार्डो में 25 मार्च गुरूवार को 14 सफाई संरक्षकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त

करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
735 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 25 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोंए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 25 मार्च तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 735 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 25 मार्च गुरूवार को चांदनी चौक व लक्कड़पीठा से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे

कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 25 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 25 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 25 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 25 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 25 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने

गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/25ण्03ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.